संख्या-25/2015-1104/43-1-2015-14(35)/2008

प्रेषक,

एस0एन0 शुक्ल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
राज्य सूचना आयोग, उ0प्र0,
लखनऊ।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 23 जुलाई, 2015

विषय :- उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग के निर्माणाधीन भवन के कुर्सी क्षेत्रफल की दरों के आगणन को पुनरीक्षित करने तथा निर्माणाधीन भवन को क्रियाशील रखने हेतु कुछ अन्य मदों के समायोजन के लिए अतिरिक्त आगणन के अनुसार धनराशि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या-13/2015/43-1-2015-14(35)/2008, दिनांक 01 मई, 2015 एवं अपने पत्र संख्या-650/रा0सू0आ0/2015, दिनांक 3-7-2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग के भवन निर्माण कार्य की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सख्या-999/43-1-2013/14(35)/08, दिनांक 24-7-2013, द्वारा रू0 1234.49 लाख की प्रदान की गयी थी, जिसके सापेक्ष शासनादेश, संख्या-999/43-1-2013/14(35)/08, दिनांक 24-7-2013, द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में रू0 500 लाख की प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी थी, जिसमें से मात्र रू0 125.00 लाख की धनराशि राज्य सूचना आयोग द्वारा आहरित की जा सकी थी, शेष रू0 375.00 लाख की धनराशि का आहरण नही हो सका था। इस सम्बन्ध में राज्य सूचना सूचना आयोग द्वारामुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा निर्गत अभुगतान प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया। उक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या-1024/43-1-2014-14(35)/2008, दिनांक 31-7-2014 द्वारा रू0 500 लाख एवं शासनादेश संख्या-2/2015/204/43-1-2015-25(16/2014, दिनांक 30-1-2015 द्वारा अनुपूरक अनुदान के माध्यम से प्राविधानित रू0 500 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

3- उल्लेखनीय है कि राज्य सूचना आयोग के निर्माणाधीन भवन के लिए कार्यदासी संस्था, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ द्वारा पस्तुत पुनरीक्षित आगणन के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित एवं व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित संशोधित लागत रू0 2050.37 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-13/2015/43-1-2015-14(35)/2008, दिनांक 01 मई, 2015 द्वारा निर्गत की गई है।

4- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सूचना आयोग के निर्माणाधीन भवन के लिए पुनरीक्षित एवं अनुमोदित लागत रू0 2050.37 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 925.37 लाख (रू0 2050.37 लाख–1125.00 लाख) का 40 प्रतिशत अर्थात रू0 370.00 लाख रूपये उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग के भवन निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए निम्न शर्तो के अधीन अवमुक्त

- - - - - 2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

करने एवं सचिव, राज्य सूचना आयोग, उ0प्र0 लखनऊ के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) स्वीकृत धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते मे जमा नहीं की जायेगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30मार्च, 2015 में वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने के संबंध में दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) पी0एफ0ए0डी0/व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(4) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ् करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में निहित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(5) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी राज्य सूचना आयोग की होगी और प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(8) यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(9) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(10) उ0प्र0 राज्य सूचना आयोग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(11) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप राज्य सूचना आयोग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(12) प्रश्नगत प्रायोजना में प्रस्तावित कार्यमदों यथा-डी0जी0सेट, ई0पी0बी0एक्स सिस्टम सी0सी0टी0वी0, सेन्ट्रल ए0सी0, लिफ्ट, टेलीफोन एवं कम्प्यूटर नेटवर्किंग, आडियो-वीडियो कान्फ्रेन्सिंग सिस्टम, एल0टी0 पैनल, सब स्टेशन के उपकरण हेतु बजटरीय आफर/कोटेशन संलग्न किये गये है। इनके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूकि यह प्रोपाइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिडयूल आफॅ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है, अतः राज्य सूचना आयोग निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित करें।

(13) प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे - नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉइस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।इसके अतिरिक्त व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की तकनीकी

- - - - 3/-

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर राज्य सूचना आयोग द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(14) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व राज्य सूचना आयोग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(15) राजकीय निर्माण निगम द्वारा आवश्यकतानुसार धनराशि की मांग किए जाने पर प्रश्नगत कार्य की गुणवत्ता की पुष्टि करने के उपरान्त प्रश्नगत धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाये।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-46 के लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय आयोजनागत-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-राज्य सूचना आयोग के कार्यालय भवन का निर्माण-24-बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

एस0एन0 शुक्ल
प्रमुख सचिव।

संख्या- 25 /2015/1104 (1)/43-1-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
4- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी, राज्य सूचना आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- लेखाकार, राज्य सूचना आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
9- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

डा0 नन्द लाल
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।